न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 27/11 निर्णय दिनांक 14-11-17

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
—अपीलांट्

—बनाम—

2. आसूराम पुत्र जेठाराम जाति मेधवाल निवासी खिचिया तहसील बीकानेर
—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, बीकानेर दिनांक 29.10.2010

उपस्थितः
1. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक
2. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2010 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का दावा विधि विरूद्व स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान राजकीस अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम धोलेरा पेमजी तहसील बीकानेर खसरा नम्बर 7 तादादी 68 बीधा 15 बिस्वा भूमि अपीलांट की सम्वत् 2012 से पूर्व से कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त खसरा नम्बर चक 4 केएचएम मुरब्बा नम्बर 107/2 की 18 बीधा व मरब्बा नम्बर 107/3 की 16 बीधा, मुरब्बा नम्बर 107/10 की 2 बीधा, मुरब्बा नम्बर 107/11 की 1 बीधा व

चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/51 की 1 बीधा, मुरब्बा नम्बर 87/58 की 5 बीधा, मुरब्बा नम्बर 87/59 की 23 बीधा व मुरब्बा नम्बर 87/60 की 3 बीधा कुल 69 बीधा में फिट हुई है । जिसके घोषणा का दावा पेश किया।

अधिनस्थ न्यायालय के दावा के पैरा संख्या 3 के अनुसार उक्त 69 बीघा भूमि में से चक 4 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 107/2 के किला नम्बर 7, 8, 13 ता 25 तादादी 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 107/3 के किला नम्बर 1, 2 में 2 बीघा इस प्रकार कुल 17 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट को वर्ष 1975 के आवंटन नियमों के तहत पुख्ता आवंटन कर दिया गया। इसके अलावा शेष रही 52 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। अदालत मातहत के समक्ष 52 बीघा भूमि की खातेदारी की मांग की गई थी, जबकि अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 69 बीघा की खातेदारी प्रदान की गई है। जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अदालत मातहत द्वारा स्टेट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय में राजकीय अभिभाषक की उपस्थिति लिखकर निर्णय पारित किया है। जबकि वर्तमान में न्यायालय में राजकीय अभिभाषक नियुक्त नहीं है। जब रेस्पोडेन्ट को 17 बीघा भूमि पूर्व में पुख्ता आवंटन हो चुकी है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा शेष रही 52 बीघा के बजाय पूरे 69 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने अपने आप में निर्णय को दुषित करना प्रतीत होता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे बताया कि वादगत भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। इस कारण अपीलांट उस पर कब्जा करना चाहता है। अपीलांट ना तो इस भूमि का टीनेन्ट है ना ही सब टीनेन्ट। इसलिए अपीलांट धोषणात्मक दावे में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर स्टेट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 68 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम धोलेरा पेमजी तहसील बीकानेर जिसके उपनिवेशन क्षेत्र में आने के पश्चात् रकबा चक चक 4 केएचएम मुरब्बा नम्बर 107/2 की 18 बीधा व मरब्बा नम्बर 107/3 की 16 बीधा, मुरब्बा नम्बर 107/10 की 2 बीधा, मुरब्बा नम्बर 107/11 की 1 बीधा व चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/51 की 1 बीधा, मुरब्बा नम्बर 87/58 की 5 बीधा, मुरब्बा नम्बर 87/59 की 23 बीधा व मुरब्बा नम्बर 87/60 की 3 बीधा कुल 69 बीधा बने। उक्त 69 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्ट का संवत् 2012 से पूर्व तारीख 15—10—1955 के दिन से आज दिनांक तक कब्जा काश्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ रेस्पोडेन्ट वादगत् आराजी के खातेदार हो गया। आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही उक्त आराजी आज दिनांक तक किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन हुई है। आराजी जैर चक 4 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 107/2 के किला नम्बर 7, 8, 13 ता 25 तादादी 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 107/3 के किला नम्बर 1 व 2 तादादी 2 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 17 बीघा आवंटन नियमों के तहत पुख्ता आवंटन कर दी गई तथा शेष 52 बीघा भूमि पर आज भी कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के बताया कि शेष 52 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार बाबत् दफा 80 जाब्ता दिवानी का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27—5—1992 को जिला कलेक्टर, बीकानेर को दिया गया, जिसकी मिंयाद दिनांक 29—07—1992 को गुजरने के उपरान्त भी वांछित अनुतोष नहीं दिये जाने पर रेस्पोडेन्ट को वाद प्रस्तुत करना पड़ा। अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पूव में प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए प्रकरण में तनकीवार विस्तृत विवेचना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

उन्होंने आगे बताया कि तनकी सं. 1 रेस्पोडेन्ट ने अपने बयानों व गवाह जोगाराम व पन्नाराम के बयानों से साबित की तथा

दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 से 14 किये। जिसके अनुसार पर्चा खतोनी जिसमें वादी/रेस्पोडेन्ट आराजी जैर काश्तकार सवंत् 2010 का अंकन है। इसके पश्चात् खसरा गिरदावरी सवंत् 2015 से 2028 में खसरा नम्बर 7 तादादी 68 बीघा 15 बिस्वा वादी/रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित है। इसी प्रकार पास बुक 1987—88 व दूसरी पासबुक दिनांक 06—12—1989 में वादी/रेस्पोडेन्ट आरजी काश्तकार के रूप में दर्ज है। चक 4 के.एच.एम. संवत् 2063 से 2066 की जमाबन्दी अनुसार वादी/रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार दर्ज है व चक 5 के.एच.एम. की जमाबंदी संवत् 2063—66 के अधीन दर्ज 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि आसू वल्द जेठाराम के नाम काश्तकार दर्ज है। जिससे रेस्पोडेन्ट की तनकी साबित थी। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 व तनकी संख्या 3 भी दस्तावेजी साक्ष्य, अधिनयिम के प्रावधानों व मौखिक साक्ष्य के आधार पर उक्त तनकीयात् रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित करते रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अदालत मातहत का निर्णय विधि अनुसार व रिकार्ड के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्टेट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31—03—2010 के अनुसार पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार, साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर पुनः विवेचना करते हुए निर्णय किये जाने के निर्देश के प्रतिप्रेषित की गई।

(2) वादगत् आराजी ग्राम धोलेरा पेमजी तहसील बीकानेर खसरा नम्बर 7 तादादी 68 बीधा 15 बिस्वा भूमि अपीलांट की सम्वत् 2012 से पूर्व से कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त खसरा नम्बर चक 4 केएचएम मुरब्बा नम्बर 107/2 की 18 बीधा व मरब्बा नम्बर 107/3 की 16 बीधा, मुरब्बा नम्बर 107/10 की 2 बीधा, मुरब्बा नम्बर 107/11 की 1 बीधा व चक 5 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 87/51 की 1 बीधा, मुरब्बा नम्बर 87/58 की 5 बीधा, मुरब्बा नम्बर

87/59 की 23 बीधा व मुरब्बा नम्बर 87/60 की 3 बीधा कुल 69 बीधा पैमूद हुई। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होने पर नियमानुसार तकनीयात् कामय की गई। तनकी संख्या 1 जिसको साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट का था। जिसके अनुसार वादी वादगत् आराजी का संवत् 2012 से बतौर कृषक काबिज होकर काश्त चला आ रहा है। अतः दफा 15 आरटीए के तहत बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गया है। अतः वादी/रेस्पोडेन्ट को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

(3) तनकी संख्या 1 के विवेचन में अदालत मातहत द्वारा पुष्टि की गई है कि एनवल रजिस्टर संवत् 2047 जिसके अनुसार आसूराम वल्द जेठाराम जाति मेघवाल साकिन खिचिया आरजी काश्तकार सवंत् 2010 का अंकन है। इस प्रकार वादी/रेस्पोडेन्ट 1955 से पूर्व का कृषक दर्ज होना साबित है। इसी प्रकार पर्चा खतौनी जिसमें वादी/रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 7 तादादी 68 बीघा 15 बिस्वा का आराजी काश्तकार सवंत् 2010 का अंकन है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2025–2038 में वादी का नाम अंकित है। तत्पश्चात् उपनिवेशन विभग द्वारा बनाया गया खसरा पत्र जिसमे वादी का नाम आरजी काश्तकार सवंत् 2010 दर्ज है। इसी प्रकार पास बुक 1987–88 व दूसरी पासबुक दिनांक 06–12–1989 में वादी/रेस्पोडेन्ट आरजी काश्तकार के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2063–2066 के अवलोकन से जाहिर है कि आसूराम वल्द जेठाराम के नाम कॉलम संख्या 4 काश्तकार के रूप में दर्ज है। अतः अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 1 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित करने में कोई कानूनी चूक नहीं की है।

(4) इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर था। जिसके अनुसार चिर निषेधाज्ञा प्रतिवादी के खिलाफ पाने का अनुतोष दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में चूंकि तनकी संख्या 1 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को वादगत् भूमि से बेदखल ना करते हुए तनकी वादी के हक में तय करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत साबित है। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी का कथन कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में

अराजीराज दर्ज है तथा वादी टीनेन्ट नहीं है। जबकि उक्त तथ्य तनकी संख्या 1 में परिप्रेक्ष्य में व दस्तावेजी साक्ष्य से वादी के पक्ष में साबित है। अतः अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी खिलाफ प्रतिवादी बहक वादी निर्णित करने में कोई कानूनी भूल नहीं किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर साबित है।

(5) यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि वादगत् भूमि रकबा 69 बीघा में से चक 4 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 107/2 के किला नम्बर 7,8,13 ता 25 तादादी 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 107/2 के किला नम्बर 1, 2 तादादी 2 बीघा इस प्रकार कुल 17 बीघा का पुख्ता आवंटन किया गया था। किन्तु आराजी जैर 69 बीघा भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से राजस्व में आने पर वादी/रेस्पोडेन्ट उक्त 69 बीघा भूमि के दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाना साबित है।

(6) इस सबंध में यहॉ यह उल्लेखनीय है कि भूमि जब उपनिवेशन विभाग को अधिसूचना द्वारा अन्तरित की जाती है तो उस समय वह एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 106 व 107 के तहत भू–अभिलेख संक्रियाओं व सर्वे व पुर्नसर्वे की प्रक्रिया से गुजरती है। अर्थात उपनिवेशन विभाग तब बन्दोबस्ती विभाग की तरह कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह लिया जाना चाहिये कि भूमि में कब्जाधारी व काश्त करने वाले काश्तकार जो तत्समय किसी भी रूप में काश्तकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है उसे खातेदारी इस धारा के तहत प्रदान करने में उदारता न्याय साम्या व सद्विवेक के सिद्वान्तों के अनुसार बरतनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति तत्समय यदि इस रूप में अधिकार अभिलेखों में व वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित हो, एवं भूमि के कब्जे में हो तो खातेदारी प्राप्त कर सकेगा।

(7) ऐसे में वादी का राजस्व रिकार्ड से नाम हटाकर भूमि को आराजीराज दर्ज करना अयुक्तियुक्त कार्यवाही मानी जानी चाहिए। वादी संवत् 2010 से पूर्व का भूमि पर काबिज एवं आरजी काश्तकार के रूप में भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। अतः उसके नाम को राजस्व रिकार्ड से हटाने के बजाय उसे गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। एवं भूमि की चकबन्दी होने पर उपनिवेशन नियमों के तहत कमाण्ड या अनकमाण्ड यथास्थिति कृषि

शुल्क व लगान का निर्धारण कर धारा 15, 15एएए व धारा 19 के अनुसार खातेदारी प्रदान करना विधि की मंशा परिलक्षित होती है।

(8) चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सवंत् 2010 से जैसा कि अधिनस्थ न्यायालय की विवेचना व राजस्व रिकार्ड से साबित है। वादी रेस्पोडेन्ट की भूमि उपनिवेशन विभाग से स्थानान्तरित होने पर उसे गैर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु उपनिवेशन में ऐसा ना करके अराजीराज दर्ज कर दिया गया। जिससे उसके हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। परिणाम स्परूप रेस्पोडेन्ट का दर्जा भूमिहीन हो गया और इसी कम में कालांतर में उसे भूमिहीन श्रेणी में 17 बीघा कब्जे वाली भूमि ही आवंटित कर दी गई। जोकि एक नितान्त गलत व त्रटिपूर्ण कार्यवाही मानी जानी चाहिए। जिससे हम एक अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार का कोई दोष नहीं पाते।

इस प्रकार कालांतर में भूमि जब पुनः राजस्व विभाग में स्थानान्तरित हुई तो शेष भूमि पुनः आराजीराज दर्ज हो गई। जबकि इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड की पुराने अर्थात उपनिवेशन के स्थानान्तरण से पूर्व के अंकन को दोहराते हुए बहाल करना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो रेस्पोडेन्ट के नाम उक्त भूमि का अंकन होता, किन्तु विभागीय अवधानता के कारण ऐसा होने से रेस्पोडेन्ट को अपने हकों से वंचित होना पड़ एवं उसे कब्जे की 69 बीघा भूमि में से मात्र 17 बीघा भूमिहीन श्रेणी के आवंटन पर ही संतोष करने हेतु मजबूर होना पड़ा। जबकि वह अनुसूचित जाति का 69 बीघा भूमि का संवत् 2010 से पूर्व का काबिज काश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार के काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा की मंशा से विशेष प्रावधान उपबन्धित करता है। वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं 1955 से पूर्व का भूमि पर काबज काश्तकार है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रूटि नहीं पाते है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में उक्त विधि के प्रवर्तन के सिवाय अन्यथाः – उपनिवेशन नियमों के तहत प्राथमिकता, भूमिहीन श्रेणी, कब्जाधारी कृषक श्रेणी में सामान्य आंवटन या वर्षानुवर्ष पट्टा का

पुख्ता आवंटन द्वारा भी बनती है। अतः चूंकि वादी अनुसूचित जाति का कृषक व वर्ष 2010 से पूर्व से उक्त भूमि का काबिज काश्तकमार होने से भूमि का अधिकारी होने का निर्णय में कोई त्रूटि नहीं पाते है।

(9) किसी व्यक्ति को यदि अभिधारी के रूप में स्वीकार करते हेतु कोई रजिस्टर विलेख आवश्यक नहीं है। इस प्रकार दर्ज अभिधारी विधि के प्रवर्तन द्वारा खातेदार बन जाता है।

संवत् 2010 में प्रार्थी तत्समय वार्षिक रजिस्टरों में आरजी काश्तकार के रूप में दर्ज था व तब से लगताार इस रूप में दर्ज रहा है।

भूमि जब राजस्व वे उपनिवेशन विभाग को हस्तान्तरित हुई तो उपनिवेशन विभाग द्वारा वादी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैसियत को दोहराना था ना कि उसका नाम हटा कर भूमि को आराजीराज दर्ज करना था।

(10) चूंकि उपनिवेशन विभाग में भूमि के हस्तान्तरण का अर्थ यही है कि भूमि का उपनिवेशन क्षेत्र में चकबन्दी होने पर किस्म कमाण्ड या अनकमाण्ड होने पर भूमि का लगान व पानी/सिंचाइ सुविधा के अनुसार शुल्क आदि का निर्धारण किया जा सके। इस हेतु उन बारानी रकबे या राजस्व विभाग के आवंटियों को गैरखातेदार दर्ज कर दिया जाना उचित है। क्योंकि यह माना जाता है कि उपनिवेशन विभाग में चकबन्दी कार्य लगान का निर्धारण नये सिरे से किया जाता है। इसलिए धारा 15 यह उपबधित करती है कि धारा 16 व धारा 180 (1)(थ) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रत्येक व्यक्ति – जो इस अधिनियम (आरटी एक्ट 1955) के आरम्भ के समय अर्थात 1955 (संवत् 2015) के समय

(अ) भूमि का उप अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी के अलावा अभिधारी है।

(ब) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के अधीन बनाये नियमों के अधीन या उसके अनुसार भूमि के आवंटियों से अन्यथा अभिधारी के रूप में इस प्रकार दर्ज है।

(स) या ऐसा मान लिया गया हो या,

(द) जो इस अधिनियम या राजस्थान भू सुधार तथा जागीर उन्मूलन, पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 या उस समय प्रचलित किसी

अन्य विधि के अपबधों के अनुसार भूमि में खातेदारी अर्जित कर लेता है—

वह इस अधिनियम के अनुसार समस्म प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार खुदकाश्त का अन्तरिती धारा 15 के तहत विधि के प्रवर्तन से या धारा 19 के अधीन खुदकाश्त का अभिधारी या उप अभिधारी जो इस धारा के अधीन कब्जे की शर्ते पूर्ण करता है या भूमि प्रबन्ध विभाग द्वारा अनुबन्ध पर अनुदान प्राप्त कर्ता को भूमि का लगान निर्धारण कर दिया गया हो।

(7) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 10 में वर्णित विवेचनानुसार व वादी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार परवादी/रेस्पोडेन्ट को सवंत् 2010 से पूर्व आरजी काश्तकार मानते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान करने में अदालत मातहत द्वारा कोई चूक नहीं की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट स्टेट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2010 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक १५-११-१२ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर